पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या.- 21778

में

2022 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या.- 465

==========

1. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।
2. महाप्रबंधक (कार्मिक), पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।
3. डिवीजनल रेलवे मैनेजर (कार्मिक), डी. आर. एम. कार्यालय, सोनपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।
5. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, भर्ती पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।

.....अपीलकर्ता/अपीलकर्तागण:

बनाम

1. श्रीमती. सुमित्रा देवी पत्नी साजिंद्र राय, ग्राम- गंगातोला, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।
2. विक्रम सिंह, पुत्र- स्वर्गीय सुखदेव सिंह, ग्राम के निवासी- मिर्जापुर, गंगाजल हाई स्कूल के पास, पी. ओ.- भरपुरा, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।
3. अशोक कुमार सिंह, पुत्र- स्वर्गीय बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह, ग्राम के निवासी- मिर्जापुर, गंगाजल हाई स्कूल के पास, पी. ओ.- भरपुरा, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।
4. अमरेश सिंह, पुत्र- स्वर्गीय जैनारायण सिंह , ग्राम के निवासी- मिर्जापुर, गंगाजल हाई स्कूल के पास, पी. ओ.- भरपुरा, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।
5. अवधेश कुमार सिंह, पुत्र- स्वर्गीय पुरुषोत्तम सिंह, ग्राम के निवासी और पी. ओ.- खारिका, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।
6. शैलेंद्र प्रसाद सिंह, पुत्र- स्वर्गीय रामदेव सिंह, ग्राम के निवासी- गंगाजल हाई स्कूल के पास, पी. ओ.- भरपुरा, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

7. कुमुद राज सिंह उर्फ़ गुड्डू, पुत्र रविशंकर सिंह, ग्राम के निवासी- गंगाजल हाई स्कूल पुत्र पास, पी. ओ.- भरपुरा, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

8. नंदन कुमार, पुत्र अरविंद कुमार सिंह, ग्राम के निवासी और पी. ओ.-खारिका, थाना-सोनपुर, जिला-सारण।

9. श्यामा रॉय, पुत्र- स्वर्गीय नारायण रॉय, गाँव के निवासी - गंगाजल हाई स्कूल के पास, पी. ओ.- भरपुरा, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

10. नीरज कुमार, पुत्र- केदारनाथ सिंह, ग्राम के निवासी और पी. ओ.-खारिका, थाना-सोनपुर, जिला-सारण।

11. रणदीप कुमार, पुत्र- विजय कृष्ण सिंह, ग्राम के निवासी और पी. ओ.-खारिका, थाना-सोनपुर, जिला-सारण।

12. प्रीतम कुमार सिंह, पुत्र- स्वर्गीय श्रीनिवास सिंह, ग्राम के निवासी और पी. ओ.-खारिका, थाना-सोनपुर, जिला-सारण।

13. सदानंद सिंह, पुत्र-स्वर्गीय राम नारायण सिंह, ग्राम के निवासी- गंगाजल उच्च विद्यालय के निकट, पी. ओ. भरपुरा, थाना सोनपुर, जिला सारण।

14. अशोक कुमार सिंह, पुत्र- स्वर्गीय मंगल प्रसाद सिंह, गांव के निवासी -मिर्जापुर, गंगाजल उच्च विद्यालय के पास, पी. ओ.- भरपुरा, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

15. अरविंद कुमार सिंह, पुत्र- स्वर्गीय रामानंद सिंह, गाँव के निवासी-मिर्जापुर, गंगाजल उच्च विद्यालय के पास, पी. ओ.- भरपुरा, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

16. अजय सिंह, पुत्र- स्वर्गीय सरयुग सिंह, ग्राम के निवासी और पी. ओ.-खारिका, थाना-सोनपुर, जिला-सारण।

17. रोहित कुमार, पुत्र- अरुण कुमार सिंह, ग्राम के निवासी और पी. ओ.-खारिका, थाना-सोनपुर, जिला-सारण।

18. सीमा कुमारी, पत्नी- रणबीर कुमार रविनेश, ग्राम के निवासी- मिर्जापुर, गंगाजल हाई स्कूल के पास, पी. ओ.- भरपुरा, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

19. यमुना सिंह, पुत्र- स्वर्गीय रामचंद्र सिंह, ग्राम के निवासी- गंगाजल उच्च विद्यालय के पास, पी. ओ.- भरपुरा, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

20. देवेन्द्र प्रसाद सिंह, पुत्र- स्वर्गीय राम कृपाल सिंह, गाँव के निवासी-गंगाजल खरिका के पास, पी. ओ.- खरिका, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

21. संजय कुमार सिंह, पुत्र-स्वर्गीय बालेश्वर सिंह, ग्राम के निवासी- गंगाजल खरिका के समीप, डाकघर- खरिका, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

22. लक्ष्मी देवी, पत्नी- बालमुकुंद सिंह, गांव की निवासी- गंगाजल खरिका के पास, पी. ओ.- खरिका, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

23. अरविंद कुमार सिंह, पुत्र- शंभू शरण सिंह, ग्राम के निवासी- निकट गंगाजल उच्च विद्यालय (चौसिन्या) के समीप, पी. ओ.- भरपुरा, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

24. शिवजी सिंह, पुत्र- रघुवंश सिंह, ग्राम के निवासी- गंगाजल खरिका के निकट,डाकघर- खरिका, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

25. रवींद्र सिंह, पुत्र- राम नेपाल सिंह, गांव के निवासी- गंगाजल खारिका के पास, पी. ओ.- खारिका, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

26. अरुण कुमार सिंह, पुत्र- स्वर्गीय ओम नारायण सिंह, ग्राम के निवासी- गंगाजल उच्च विद्यालय के निकट, डाकघर एवं थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

27. राजू कुमार, पुत्र- स्वर्गीय बिंदेश्वरी प्रसाद, ग्राम के निवासी- गंगाजल टोला, डाकघर एवं थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

28. श्याम सुंदर देवी, पुत्र- स्वर्गीय गंगा सागर सिंह, ग्राम के निवासी- गंगाजल उच्च विद्यालय के निकट, पीओ और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

29. सुनील कुमार उपाध्याय, पुत्र- रामजी उपाध्याय, निवासी-गंगाजल सुल्तानपुर, थाना?- गोविंदचक, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

30. किरण देवी, पुत्र- रंजीत सिंह, ग्राम के निवासी- मिर्जापुर, गंगाजल, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

31. ओंकार नारायण सिंह, पुत्र- स्वर्गीय रामचंद्र सिंह, गाँव के निवासी-गंगाजल हाई स्कूल के पास, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

32. तारकेश्वर सिंह, पुत्र- स्वर्गीय रामेश्वर सिंह, ग्राम के निवासी और पी. ओ.-खारिका, थाना- सोनपुर, जिला-सारण।

33. रवींद्र सिंह, पुत्र- स्वर्गीय सरयुग सिंह, ग्राम के निवासी और पी. ओ.-खारिका, थाना- सोनपुर, जिला-सारण।

34. भीखारी सिंह, पुत्र स्वर्गीय सिंगासन सिंह, ग्राम के निवासी और पी. ओ.-खारिका, थाना- सोनपुर, जिला-सारण।

35. रामनाथ रॉय, पुत्र- स्वर्गीय महांगू रॉय, ग्राम के निवासी-भरपुरा, पीओ और थाना- सोनपुर, जिला-सारण।

36. हरेंद्र सिंह, पुत्र स्वर्गीय दयानंद सिंह, ग्राम के निवासी- गंगाजल खरिका , पी. ओ.- खरिका, थाना- सोनपुर, जिला-सारण।

37. पंचानंद सिंह, पुत्र- राम प्रसाद सिंह, ग्राम के निवासी- मिर्ज़ापुर गंगाजल, डाकघर- भरपुरा, थाना- सोनपुर, जिला-सारण। .

38. राम दयाल रॉय, पुत्र- स्वर्गीय महांगू रॉय, ग्राम के निवासी- भरपुरा, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला-सारण।

39. शीला देवी, पुत्री- स्वर्गीय सत्य नारायण सिंह, गाँव के निवासी- गंगाजल, डाकघर- खरिका, थाना- सोनपुर, जिला-सारण।

40. किशोर कुणाल, पुत्र- घनश्याम देवी, ग्राम के निवासी और डाकघर- खरिका, थाना- सोनपुर, जिला-सारण।

41. रीना कुमारी, पुत्र- विजय कुमार सिंह, ग्राम के निवासी- मिर्जापुर गंगाजल, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

42. तारकेश्वर सिंह, पुत्र- स्वर्गीय दीपनारायण सिंह, ग्राम के निवासी- मिर्जापुर गंगाजल, पी. ओ.-भरपुरा, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

43. चन्द्रकेत सिंह, पुत्र- स्वर्गीय बिंदेश्वरी सिंह, ग्राम के निवासी- गंगाजल, डाकघर- खरिका, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

44. अशोक कुमार सिंह, पुत्र- स्वर्गीय पुत्रदार नाथ सिंह, ग्राम के निवासी- गंगाजल, बरका बागीचा, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

45. ब्रजेश कुमार सिंह, पुत्र सुरेश प्रसाद सिंह, ग्राम के निवासी और पी. ओ.-खारिका, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

46. राणा रंजीत कुमार, पुत्र- स्वर्गीय विजय सिंह, गाँव के निवासी- गंगाजल बरका बागीचा, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

47. सुधा कुमारी, पुत्री- स्वर्गीय जलेश्वर सिंह, गाँव के निवासी- गंगाजल बरका बागीचा, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

48. पप्पु गिरि, पुत्र- रामनाथ गिरि, गाँव के निवासी- गंगाजल बरका बागीचा, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला-सारण।

49. उमाकांत उपाध्याय, पुत्र- स्वर्गीय बंशरोपन उपाध्याय, गाँव के निवासी- भरपुरा, पीओ और थाना- सोनपुर, जिला-सारण।

50. धर्मेंद्र कुमार सिंह, पुत्र- स्वर्गीय विनय सिंह, गाँव के निवासी- गंगाजल बरका बागीचा, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

51. राणा रणविजय कुमार, पुत्र- बशिष्ठ नारायण पाठक, गाँव के निवासी- गंगाजल टोला, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

52. घनश्याम कुमार सिंह, पुत्र- स्वर्गीय घुप नारायण सिंह, गाँव के निवासी- गंगाजल बरका बागीचा, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

53. रघुवीर कुमार पुत्र- स्वर्गीय पारस नाथ सिंह, गाँव के निवासी- दुधैला, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

54. गुरिया कुमारी, पुत्री- स्वर्गीय पारस नाथ सिंह, गाँव के निवासी- दुधैला, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

55. टिंकी कुमारी, पुत्री- स्वर्गीय पारस नाथ सिंह, गाँव के निवासी- दुधैला, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

56. छापरा, सारण के समाहर्ता के माध्यम से बिहार राज्य।

57. जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सारण, छापरा।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

साथ

2019 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या.- 21559

में

2022 की पत्र पेटेंट अपील संख्या 466

==========

1. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली के अध्यक्ष के माध्यम से भारत संघ।

2. महाप्रबंधक (कार्मिक), पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।

3. डिवीजनल रेलवे मैनेजर (कार्मिक), डी. आर. एम. कार्यालय, सोनपुर।

4. मुख्य कार्मिक अधिकारी, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।

5. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, भर्ती पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।

.....अपीलकर्ता/अपीलकर्तागण:

बनाम

1. बटेश्वर नाथ सिंह, पुत्र- स्वर्गीय बिंदा सिंह. ग्राम के निवासी- मिर्जापुर, गंगाजल, पोस्ट और थाना सोनपुर, जिला-सारण।
2. शर्मिला कुमारी, पत्नी- आलोक कुमार सिंह, ग्राम के निवासी- गंगाजल हाई स्कूल के समीप, पोस्ट और थाना- सोनपुर, जिला-सारण।
3. बीरेंद्र नाथ सिंह, पुत्र- स्वर्गीय राम लखन सिंह,ग्राम के निवासी- गंगाजल हाई स्कूल, पोस्ट और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।
4. संतोष कुमार सिंह,पुत्र- तारकेश्वर सिंह, ग्राम के निवासी और पोस्ट- खरिका, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।
5. चंद्रमा सिंह, पुत्र- शंभू नाथ, ग्राम के निवासी- गंगालाल बरका बागीचा, पोस्ट और थाना-सोनपुर, जिला- सारण।
6. छापरा, सारण के समाहर्ता के माध्यम से बिहार राज्य।
7. जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सारण, छापरा।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

साथ

2021 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या.- 5751

में

2022 की पत्र पेटेंट अपील संख्या 467

==========

1. सचिव, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।

2. रेलवे बोर्ड अपने अध्यक्ष, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से।

3. सचिव, (स्थापना), रेल बोर्ड मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

4. निदेशक (स्थापना) रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

5. महाप्रबंधक (कार्मिक), पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।

6. मुख्य कार्मिक अधिकारी, (प्रशासन) पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।

7. संभागीय रेलवे प्रबंधक ई. सी. आर. सोनपुर।

.....अपीलकर्ता/अपीलकर्तागण:

बनाम

1. शशिकांत कुमार, पुत्र- कैलाश राय, गाँव के निवासी- मन्नान, थाना-हाजीपुर (सदर), जिला-वैशाली-844103।

2. रवि, पुत्र- पवन कुमार तिवारी, ग्राम के निवासी- चकतुल्लाह (बकरपुर), पी. एस.- हाजीपुर (सदर), जिला-वैशाली-844103।

3. मुकेश कुमार, पुत्र- स्वर्गीय दीपनारायण सिंह और माता- सुमित्रादेवी, ग्राम के निवासी- सुल्तानपुर, थाना-औद्योगिक क्षेत्र (औद्योगिक क्षेत्र), जिला-वैशाली-844101।

4. भास्कर प्रभु, पुत्र- भरत प्रसाद सिंह, ग्राम के निवासी- घटारो, थाना-कर्तोहन, जिला-वैशाली।

5. प्रधान सचिव, राजस्व विभाग और भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।

6. छापरा, सारण में समाहर्ता।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

संदर्भित मामलेः उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य (1994) 4 एस. सी. सी. 138

 बुटु प्रसाद कुंभार बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड; 1995 पूरक (2) एस. सी. सी. 225 भारतीय संघ बनाम शंकर प्रसाद दीप; (2019) 16 एस. सी. सी. 286

 साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम प्रेम कुमार शर्मा; (2007) 14 एससीसी 508 अनिल कुमार बनाम भारत संघ; (2019) 5 एससीसी 591

एल. पी. ए.-रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण के बदले में नौकरी देने और मौद्रिक मुआवजे के लिए दीवानी रिट याचिका में दायर-दीवानी रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं ने विस्थापित परिवारों के सदस्यों को नौकरी देने के लिए रेलवे नीति पर भरोसा किया-दीवानी रिट याचिका में एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया, जिसे उसी तरह से स्थित व्यक्तियों की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी बनाया जाए। याचिकाकर्ताओं को उस तारीख से सेवा की निरंतरता प्रदान की जानी थी और वेतन को वैचारिक रूप से निर्धारित करने का निर्देश दिया गया था; वास्तविक वेतन का भुगतान नियुक्ति होने की तारीख से भुगतेय होनी है।

रेलवे की ओर से दायर एल. पी. ए. में विवादित फैसले का विरोध किया-अपीलकर्ताओं का तर्क है कि याचिकाकर्ताओं की भूमि तीन अलग-अलग परियोजनाओं के तहत अधिग्रहित की गई थी। पहली परियोजना को छोड़कर, मौद्रिक मुआवजे के अलावा नौकरी की कोई शर्त नहीं थी। इसके अलावा, दिशानिर्देशों के अनुसार, नौकरी केवल तभी दी जानी थी जब अधिग्रहित भूमि परिवार को उसकी आजीविका से वंचित करती थी, बशर्ते कि भर्ती के लिए प्रस्तावित परिवार के सदस्य के पास आवश्यक योग्यता हो। - आवेदन करने में भारी देरी होती है और किसी भी स्थिति में अधिकार क्षेत्र केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पास होता है। - ऐसी नीति के आधार पर कोई वचन बद्ध रोक नहीं लगाई जा सकती है, लगभग एक हजार व्यक्तियों को नौकरी प्रदान करने के एक मोटे अनुमान पर तैयार की

गई और अब पंद्रह हजार है। भूमि के प्रत्येक टुकड़े पर किया गया दावा विभाजन, पट्टा आदि के आधार पर कई गुना बढ़ गया है।

उत्तरदाताओं का तर्क है कि नीति का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया था और इसमें चयनात्मकता अपनाई गयी था जिसके परिणामस्वरूप भेदभाव का दावा किया गया था। - हकदार व्यक्तियों का एक कृत्रिम पथक्करण किया गया है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। विभाजन, पट्टा आदि के दावे पर व्यक्तिगत रूप से विचार किया जा सकता है जो रेलवे करने में विफल रहा है।

निर्णय-सेवा के दौरान मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति के सिद्धांत भूमि अधिग्रहण के मामलों पर भी समान रूप से लागू होते हैं। - नियुक्ति केवल तभी की जा सकती है जब ऐसी नियुक्तियां देने की नीति हो, और यदि निर्धारित शर्तों का ईमानदारी से पालन किया गया हो, और काफी समय बीतने के बाद नहीं-सरकार विस्थापित किसी भी व्यक्ति को रोजगार प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं थी, या विस्थापित परिवारों के प्रत्येक वयस्क सदस्य को रोजगार में तरजीही व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए भी बाध्य नहीं थी। - भूमि बेदखल करने वालों को नियमों और शर्तों का पालन करने के पर्याप्त अवसरों के बिना व्यक्तिगत आवेदनों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

- निर्णय में कानूनी स्थिति और नीतिगत दिशानिर्देशों के स्पष्ट होने के परिपेक्ष्य में, दावे पर कोई भी विचार व्यक्तिगत तथ्यों पर आधारित होगा; जिसका विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रयास नहीं किया है। - विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को दरकिनार कर-अपील की अनुमति दी गई

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या.- 21778

में

2022 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या.- 465

==========

1. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।
2. महाप्रबंधक (कार्मिक), पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।
3. डिवीजनल रेलवे मैनेजर (कार्मिक), डी. आर. एम. कार्यालय, सोनपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।
5. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, भर्ती पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।

.....अपीलकर्ता/अपीलकर्तागण:

बनाम

1. श्रीमती. सुमित्रा देवी पत्नी साजिंद्र राय, ग्राम- गंगातोला, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।
2. विक्रम सिंह, पुत्र- स्वर्गीय सुखदेव सिंह, ग्राम के निवासी- मिर्जापुर, गंगाजल हाई स्कूल के पास, पी. ओ.- भरपुरा, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।
3. अशोक कुमार सिंह, पुत्र- स्वर्गीय बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह, ग्राम के निवासी- मिर्जापुर, गंगाजल हाई स्कूल के पास, पी. ओ.- भरपुरा, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।
4. अमरेश सिंह, पुत्र- स्वर्गीय जैनारायण सिंह , ग्राम के निवासी- मिर्जापुर, गंगाजल हाई स्कूल के पास, पी. ओ.- भरपुरा, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।
5. अवधेश कुमार सिंह, पुत्र- स्वर्गीय पुरुषोत्तम सिंह, ग्राम के निवासी और पी. ओ.- खारिका, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।
6. शैलेंद्र प्रसाद सिंह, पुत्र- स्वर्गीय रामदेव सिंह, ग्राम के निवासी- गंगाजल हाई स्कूल के पास, पी. ओ.- भरपुरा, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

7. कुमुद राज सिंह उर्फ़ गुड्डू, पुत्र रविशंकर सिंह, ग्राम के निवासी- गंगाजल हाई स्कूल पुत्र पास, पी. ओ.- भरपुरा, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

8. नंदन कुमार, पुत्र अरविंद कुमार सिंह, ग्राम के निवासी और पी. ओ.-खारिका, थाना-सोनपुर, जिला-सारण।

9. श्यामा रॉय, पुत्र- स्वर्गीय नारायण रॉय, गाँव के निवासी - गंगाजल हाई स्कूल के पास, पी. ओ.- भरपुरा, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

10. नीरज कुमार, पुत्र- केदारनाथ सिंह, ग्राम के निवासी और पी. ओ.-खारिका, थाना-सोनपुर, जिला-सारण।

11. रणदीप कुमार, पुत्र- विजय कृष्ण सिंह, ग्राम के निवासी और पी. ओ.-खारिका, थाना-सोनपुर, जिला-सारण।

12. प्रीतम कुमार सिंह, पुत्र- स्वर्गीय श्रीनिवास सिंह, ग्राम के निवासी और पी. ओ.-खारिका, थाना-सोनपुर, जिला-सारण।

13. सदानंद सिंह, पुत्र-स्वर्गीय राम नारायण सिंह, ग्राम के निवासी- गंगाजल उच्च विद्यालय के निकट, पी. ओ. भरपुरा, थाना सोनपुर, जिला सारण।

14. अशोक कुमार सिंह, पुत्र- स्वर्गीय मंगल प्रसाद सिंह, गांव के निवासी -मिर्जापुर, गंगाजल उच्च विद्यालय के पास, पी. ओ.- भरपुरा, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

15. अरविंद कुमार सिंह, पुत्र- स्वर्गीय रामानंद सिंह, गाँव के निवासी-मिर्जापुर, गंगाजल उच्च विद्यालय के पास, पी. ओ.- भरपुरा, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

16. अजय सिंह, पुत्र- स्वर्गीय सरयुग सिंह, ग्राम के निवासी और पी. ओ.-खारिका, थाना-सोनपुर, जिला-सारण।

17. रोहित कुमार, पुत्र- अरुण कुमार सिंह, ग्राम के निवासी और पी. ओ.-खारिका, थाना-सोनपुर, जिला-सारण।

18. सीमा कुमारी, पत्नी- रणबीर कुमार रविनेश, ग्राम के निवासी- मिर्जापुर, गंगाजल हाई स्कूल के पास, पी. ओ.- भरपुरा, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

19. यमुना सिंह, पुत्र- स्वर्गीय रामचंद्र सिंह, ग्राम के निवासी- गंगाजल उच्च विद्यालय के पास, पी. ओ.- भरपुरा, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

20. देवेन्द्र प्रसाद सिंह, पुत्र- स्वर्गीय राम कृपाल सिंह, गाँव के निवासी-गंगाजल खरिका के पास, पी. ओ.- खरिका, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

21. संजय कुमार सिंह, पुत्र-स्वर्गीय बालेश्वर सिंह, ग्राम के निवासी- गंगाजल खरिका के समीप, डाकघर- खरिका, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

22. लक्ष्मी देवी, पत्नी- बालमुकुंद सिंह, गांव की निवासी- गंगाजल खरिका के पास, पी. ओ.- खरिका, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

23. अरविंद कुमार सिंह, पुत्र- शंभू शरण सिंह, ग्राम के निवासी- निकट गंगाजल उच्च विद्यालय (चौसिन्या) के समीप, पी. ओ.- भरपुरा, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

24. शिवजी सिंह, पुत्र- रघुवंश सिंह, ग्राम के निवासी- गंगाजल खरिका के निकट,डाकघर- खरिका, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

25. रवींद्र सिंह, पुत्र- राम नेपाल सिंह, गांव के निवासी- गंगाजल खारिका के पास, पी. ओ.- खारिका, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

26. अरुण कुमार सिंह, पुत्र- स्वर्गीय ओम नारायण सिंह, ग्राम के निवासी- गंगाजल उच्च विद्यालय के निकट, डाकघर एवं थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

27. राजू कुमार, पुत्र- स्वर्गीय बिंदेश्वरी प्रसाद, ग्राम के निवासी- गंगाजल टोला, डाकघर एवं थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

28. श्याम सुंदर देवी, पुत्र- स्वर्गीय गंगा सागर सिंह, ग्राम के निवासी- गंगाजल उच्च विद्यालय के निकट, पीओ और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

29. सुनील कुमार उपाध्याय, पुत्र- रामजी उपाध्याय, निवासी-गंगाजल सुल्तानपुर, थाना?- गोविंदचक, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

30. किरण देवी, पुत्र- रंजीत सिंह, ग्राम के निवासी- मिर्जापुर, गंगाजल, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

31. ओंकार नारायण सिंह, पुत्र- स्वर्गीय रामचंद्र सिंह, गाँव के निवासी-गंगाजल हाई स्कूल के पास, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

32. तारकेश्वर सिंह, पुत्र- स्वर्गीय रामेश्वर सिंह, ग्राम के निवासी और पी. ओ.-खारिका, थाना- सोनपुर, जिला-सारण।

33. रवींद्र सिंह, पुत्र- स्वर्गीय सरयुग सिंह, ग्राम के निवासी और पी. ओ.-खारिका, थाना- सोनपुर, जिला-सारण।

34. भीखारी सिंह, पुत्र स्वर्गीय सिंगासन सिंह, ग्राम के निवासी और पी. ओ.-खारिका, थाना- सोनपुर, जिला-सारण।

35. रामनाथ रॉय, पुत्र- स्वर्गीय महांगू रॉय, ग्राम के निवासी-भरपुरा, पीओ और थाना- सोनपुर, जिला-सारण।

36. हरेंद्र सिंह, पुत्र स्वर्गीय दयानंद सिंह, ग्राम के निवासी- गंगाजल खरिका , पी. ओ.- खरिका, थाना- सोनपुर, जिला-सारण।

37. पंचानंद सिंह, पुत्र- राम प्रसाद सिंह, ग्राम के निवासी- मिर्ज़ापुर गंगाजल, डाकघर- भरपुरा, थाना- सोनपुर, जिला-सारण। .

38. राम दयाल रॉय, पुत्र- स्वर्गीय महांगू रॉय, ग्राम के निवासी- भरपुरा, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला-सारण।

39. शीला देवी, पुत्री- स्वर्गीय सत्य नारायण सिंह, गाँव के निवासी- गंगाजल, डाकघर- खरिका, थाना- सोनपुर, जिला-सारण। .

40. किशोर कुणाल, पुत्र- घनश्याम देवी, ग्राम के निवासी और डाकघर- खरिका, थाना- सोनपुर, जिला-सारण।

41. रीना कुमारी, पुत्र- विजय कुमार सिंह, ग्राम के निवासी- मिर्जापुर गंगाजल, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

42. तारकेश्वर सिंह, पुत्र- स्वर्गीय दीपनारायण सिंह, ग्राम के निवासी- मिर्जापुर गंगाजल, पी. ओ.-भरपुरा, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

43. चन्द्रकेत सिंह, पुत्र- स्वर्गीय बिंदेश्वरी सिंह, ग्राम के निवासी- गंगाजल, डाकघर- खरिका, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

44. अशोक कुमार सिंह, पुत्र- स्वर्गीय पुत्रदार नाथ सिंह, ग्राम के निवासी- गंगाजल, बरका बागीचा, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

45. ब्रजेश कुमार सिंह, पुत्र सुरेश प्रसाद सिंह, ग्राम के निवासी और पी. ओ.-खारिका, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

46. राणा रंजीत कुमार, पुत्र- स्वर्गीय विजय सिंह, गाँव के निवासी- गंगाजल बरका बागीचा, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

47. सुधा कुमारी, पुत्री- स्वर्गीय जलेश्वर सिंह, गाँव के निवासी- गंगाजल बरका बागीचा, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

48. पप्पु गिरि, पुत्र- रामनाथ गिरि, गाँव के निवासी- गंगाजल बरका बागीचा, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला-सारण।

49. उमाकांत उपाध्याय, पुत्र- स्वर्गीय बंशरोपन उपाध्याय, गाँव के निवासी- भरपुरा, पीओ और थाना- सोनपुर, जिला-सारण।

50. धर्मेंद्र कुमार सिंह, पुत्र- स्वर्गीय विनय सिंह, गाँव के निवासी- गंगाजल बरका बागीचा, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

51. राणा रणविजय कुमार, पुत्र- बशिष्ठ नारायण पाठक, गाँव के निवासी- गंगाजल टोला, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

52. घनश्याम कुमार सिंह, पुत्र- स्वर्गीय घुप नारायण सिंह, गाँव के निवासी- गंगाजल बरका बागीचा, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

53. रघुवीर कुमार पुत्र- स्वर्गीय पारस नाथ सिंह, गाँव के निवासी- दुधैला, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

54. गुरिया कुमारी, पुत्री- स्वर्गीय पारस नाथ सिंह, गाँव के निवासी- दुधैला, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

55. टिंकी कुमारी, पुत्री- स्वर्गीय पारस नाथ सिंह, गाँव के निवासी- दुधैला, पी. ओ. और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।

56. छापरा, सारण के समाहर्ता के माध्यम से बिहार राज्य।

57. जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सारण, छापरा।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

साथ

2019 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या.- 21559

में

2022 की पत्र पेटेंट अपील संख्या 466

==========

1. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली के अध्यक्ष के माध्यम से भारत संघ।

2. महाप्रबंधक (कार्मिक), पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।

3. डिवीजनल रेलवे मैनेजर (कार्मिक), डी. आर. एम. कार्यालय, सोनपुर।

4. मुख्य कार्मिक अधिकारी, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।

5. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, भर्ती पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।

.....अपीलकर्ता/अपीलकर्तागण:

बनाम

1. बटेश्वर नाथ सिंह, पुत्र- स्वर्गीय बिंदा सिंह. ग्राम के निवासी- मिर्जापुर, गंगाजल, पोस्ट और थाना सोनपुर, जिला-सारण।
2. शर्मिला कुमारी, पत्नी- आलोक कुमार सिंह, ग्राम के निवासी- गंगाजल हाई स्कूल के समीप, पोस्ट और थाना- सोनपुर, जिला-सारण।
3. बीरेंद्र नाथ सिंह, पुत्र- स्वर्गीय राम लखन सिंह,ग्राम के निवासी- गंगाजल हाई स्कूल, पोस्ट और थाना- सोनपुर, जिला- सारण।
4. संतोष कुमार सिंह,पुत्र- तारकेश्वर सिंह, ग्राम के निवासी और पोस्ट- खरिका, थाना- सोनपुर, जिला- सारण।
5. चंद्रमा सिंह, पुत्र- शंभू नाथ, ग्राम के निवासी- गंगालाल बरका बागीचा, पोस्ट और थाना-सोनपुर, जिला- सारण।
6. छापरा, सारण के समाहर्ता के माध्यम से बिहार राज्य।
7. जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सारण, छापरा।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

साथ

2021 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या.- 5751

में

2022 की पत्र पेटेंट अपील संख्या 467

==========

1. सचिव, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।

2. रेलवे बोर्ड अपने अध्यक्ष, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से।

3. सचिव, (स्थापना), रेल बोर्ड मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

4. निदेशक (स्थापना) रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

5. महाप्रबंधक (कार्मिक), पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।

6. मुख्य कार्मिक अधिकारी, (प्रशासन) पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।

7. संभागीय रेलवे प्रबंधक ई. सी. आर. सोनपुर।

.....अपीलकर्ता/अपीलकर्तागण:

बनाम

1. शशिकांत कुमार, पुत्र- कैलाश राय, गाँव के निवासी- मन्नान, थाना-हाजीपुर (सदर), जिला-वैशाली-844103।

2. रवि, पुत्र- पवन कुमार तिवारी, ग्राम के निवासी- चकतुल्लाह (बकरपुर), पी. एस.- हाजीपुर (सदर), जिला-वैशाली-844103।

3. मुकेश कुमार, पुत्र- स्वर्गीय दीपनारायण सिंह और माता- सुमित्रादेवी, ग्राम के निवासी- सुल्तानपुर, थाना-औद्योगिक क्षेत्र (औद्योगिक क्षेत्र), जिला-वैशाली-844101।

4. भास्कर प्रभु, पुत्र- भरत प्रसाद सिंह, ग्राम के निवासी- घटारो, थाना-कर्तोहन, जिला-वैशाली।

5. प्रधान सचिव, राजस्व विभाग और भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।

6. छापरा, सारण में समाहर्ता।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

उपस्थिति:

(2022 के पत्र पेटेंट अपील संख्या 465 में)

अपीलार्थी/गण के लिए	:	डॉ. के. एन. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अंशुमन सिंह, सी. जी. सी. श्री आलोक कुमार, सी. जी. सी.
उत्तरदाता/उत्तरदातागण के लिए	:	श्री बिंध्याचल सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत के. सिन्हा, अधिवक्ता, सुश्री स्मृति सिंह अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	मो. खुर्शीद आलम, ए. ए. जी. 12

(2022 की पत्र पेटेंट अपील संख्या 466 में)

अपीलार्थी/गण के लिए	:	डॉ. के. एन. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अंशुमन सिंह, सी. जी. सी. श्री आलोक कुमार, सी. जी. सी.
उत्तरदाता/उत्तरदातागण के लिए	:	श्री बिंध्याचल सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	मो. खुर्शीद आलम, एएजी 12

(2022 के पत्र पेटेंट अपील संख्या 467 में)

अपीलार्थी/गण के लिए	:	डॉ. के. एन. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अंशुमन सिंह, सी. जी. सी. श्री आलोक कुमार, सी. जी. सी.
उत्तरदाता/उत्तरदातागण के लिए	:	श्री प्रतीक के. सिन्हा, अधिवक्ता, श्री सौरभ कुमार, अधिवक्ता.
राज्य के लिए	:	मो. खुर्शीद आलम, एएजी 12

==========

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीश कुमार सी. ए. भी. निर्णय

(द्वारा: माननीय मुख्य न्यायाधीश के अनुसार)

तिथि:21-03-2024

उपरोक्त अपीलों में मौद्रिक मुआवजे के अलावा भूमि अधिग्रहण के बदले नौकरी की मांग का मुद्दा उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि रेलवे लाइन बिछाने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा किए गए अधिग्रहण में उन्होंने अपनी जमीन खो दी है। याचिकाकर्ता उनमें से प्रत्येक, जो विस्थापित परिवारों का सदस्य है,के लिए नौकरी का दावा करने के लिए रेलवे की एक नीति पर भी भरोसा करते है। रेलवे ने विचार में देरी की थी और जब कुछ व्यक्तियों को लाभ दिया गया था, तो अन्य को इससे वंचित कर दिया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने न केवल याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया, बल्कि नियुक्ति के प्रस्ताव भी दिए जाने की आवश्यकता थी, जो समान रूप से स्थित व्यक्तियों की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी थे। याचिकाकर्ताओं को उस तारीख से सेवा की निरंतरता उस तिथि से प्रदान की जानी थी और वेतन को वैचारिक रूप से निर्धारित करने का निर्देश दिया गया था; वास्तविक वेतन का भुगतान शामिल होने की तारीख से किया जा रहा था।

2. विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. के. एन. सिंह रेलवे की ओर से पेश हुए और विवादित फैसले पर चोट किया। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, याचिकाकर्ताओं की भूमि तीन अलग-अलग परियोजनाओं के तहत अधिग्रहित की गई थी; गंगा पुल के उत्तर की ओर, गंगा पुल का विस्तार और हाजीपुर-सुगौली रेलवे लाइन। पहली परियोजना के अतिरिक्त, मौद्रिक मुआवजे के अलावा नौकरी की कोई शर्त नहीं थी। अधिग्रहण की तारीख 2002 से 2003 के बीच थी और रिट याचिका के साथ प्रस्तुत किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, नौकरियां केवल तभी दी जानी थीं जब अधिग्रहित भूमि परिवार को उसकी आजीविका से वंचित कर दे और भर्ती के लिए प्रस्तावित परिवार के सदस्य के पास अपेक्षित योग्यता हो। यह भर्ती सामान्य भर्ती के क्रम में ऐसे उम्मीदवारों को केवल तरज़ीही महत्व के साथ की जानी थी। रेलवे में उन पदों पर सीधे नियुक्ति नहीं हो सकती है जो भारत के संविधान के

अनुच्छेद 14 के तहत समानता खंड का उल्लंघन करते हैं। इस तरह की नियुक्ति केवल दो साल के भीतर या अधिग्रहण के बाद पहली भर्ती में, जो भी बाद में हो, की जा सकती है।

3. जहाँ तक गंगा पुल के उत्तर की ओर, अधिग्रहण वर्ष 2003 में किए गए थे, कई को पहली भर्ती में नौकरी दी गई थी और इस बाद में चरण में अन्य लोगों द्वारा कोई दावा नहीं किया जा सकता है। जहां तक गंगा पुल और हाजीपुर-सुगौली रेलवे लाइन के विस्तार की बात है, तो इस बात की कोई शर्त नहीं थी कि भूमि मालिक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा। जहां तक हाजीपुर-सुगौली के विस्तार का संबंध है, 2011 में एक नीति बनाई गई थी जिसमें राज्य द्वारा सिफारिश करने में देरी के कारण 92 व्यक्तियों को विपत्ति का हवाला देने के कारण छूट दी गई थी। अभी तक नौकरी देने की कोई नीति विद्यमान नहीं है। इस बाद के चरण में आजीविका से वंचित होने का दावा राज्य द्वारा प्रतिकारित नहीं किया जा सकता है।

4. विद्वान वरिष्ठ वकील संक्षेप में कहेंगे कि तीन अलग-अलग योजनाएं थीं और केवल एक में भूमि अधिग्रहण के बदले नौकरी की शर्त थी। सभी दावों पर विचार किया गया और जब कुछ व्यक्तियों को स्वीकृति दी गई, तो अन्य को वैध आधारों पर अस्वीकार कर दिया गया, जो अस्वीकृति उनकी अयोग्यता पर आधारित थी जो भेदभाव पर आधारित नही थी। अभी तक, नियुक्ति केवल समूह डी के लिए की जा सकती है और निर्धारित योग्यता अनिवार्य है। भर्ती के बिना कोई नियुक्ति नहीं हो सकती है और प्रावधान केवल तरजीही महत्व के लिए है। कानून के अनुसार देय एकमात्र मुआवजा मौद्रिक प्रकृति का होता है और जहां भी नौकरी प्रदान की जाती है, उसे पहली उपलब्ध भर्ती में तत्काल नियुक्ति की कुछ शर्तों के साथ सीमित किया जाता है और उम्मीदवार अन्यथा योग्य होता है, जो शर्तें पूरी होने पर भी केवल तरजीह दी जा सकती हैं। आवेदन करने में भारी देरी होती है और किसी भी स्थिति में अधिकार क्षेत्र केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पास होता है। लगभग एक हजार व्यक्तियों को नौकरी प्रदान करने के एक मोटे अनुमान पर तैयार की गई नीति के

आधार पर कोई विबंधन (एस्टोपेल) वादा रोक नहीं हो सकता है जो अब पंद्रह हजार है। भूमि के प्रत्येक टुकड़े पर किया गया दावा विभाजन, पट्टा आदि के आधार पर कई गुना बढ़ गया है। विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए।

5. ***उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य (1994) 4 एस. सी. सी. 138*** के मामले पर अनुकम्पा नियुक्ति के सिद्धांतो को सामने रखने के लिए, भरोसा किया गया है। ***बुटु प्रसाद कुंभार बनाम भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड; 1995 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 225*** ने माना कि अधिग्रहण का अधिकार केवल मौद्रिक मुआवजे के लिए है और यदि नौकरी के प्रावधान के लिए कोई योजना नहीं है, तो उस हिसाब से दावा करने का कोई अधिकार नहीं हो सकता है। ***भारत संघ बनाम शंकर प्रसाद दीप; (2019) 16 एस. सी. सी. 286*** पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया गया है कि, जब भूमि अधिग्रहण के बजाय नौकरी प्रदान करने की योजना है, तब आवश्यक योग्यता को पूरा करना होगा। ***सूर्य भूषण कुमार बनाम भारत संघ और अन्य*** मामले में इस न्यायालय की एक खंड पीठ का निर्णय, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष अधिकारिता का दावा करने के लिए 2012 की एल. पी. ए. संख्या 399 पर भरोसा किया गया है।

6. श्री बिंध्याचल सिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील, 2023 के एल. पी. ए. संख्या 465 और 2023 के 466 में उत्तरदाताओं की ओर से पेश होते हैं। इसमें उत्तरदाता गंगा नदी के उत्तरी हिस्से में अधिग्रहण, गंगा पुल और हाजीपुर-सुगौली क्षेत्र के विस्तार, सभी पर संयुक्त रूप से सम्बंधित हैं। विवादित निर्णय के समर्थन में दो पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है; नीति निर्णय का कार्यान्वयन और नीति के अनुसार व्यक्तिगत विचार नहीं किया गया है। इस नीति का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया और एक चुनना एवं पसंद करने का तरीका अपनाया गया जिसके परिणामस्वरूप भेदभाव का दावा किया गया। 2019 के नीतिगत निर्णय पर कोई निर्भरता नहीं रखी जा सकती है, जो विद्वान एकल न्यायाधीश के

अनुसार संभावित प्रकृति का था। हालाँकि, जिनके दावे 2019 की नीति से पहले सामने आए थे और उन्हें लाभ नहीं दिया गया था, वे संशोधित नीति के हकदार होंगे, जो हालांकि संभावित है, लेकिन पूर्वव्यापी है। हाजीपुर-सुगौली खंड में कुल 500 दावेदारों में से 280 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया। हकदार व्यक्तियों का एक कृत्रिम अलगाव किया गया है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। विभाजन, पट्टा आदि के दावे पर व्यक्तिगत रूप से विचार किया जा सकता है जो रेलवे करने में विफल रहा है।

7. श्री प्रतीक कुमार सिन्हा, विद्वान वकील, 2022 के एल. पी. ए. संख्या 467 में उपस्थित होते हैं, जिसमें उत्तरदाता केवल हाजीपुर-सुगौली अनुभाग से संबंधित हैं। प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों से यह बताया गया है कि वर्ष 2010 में याचिकाकर्ताओं की भूमि के अधिग्रहण से ठीक पहले एक नीति तैयार की गई थी जो याचिकाकर्ताओं पर लागू थी। नीति की बेहतर समझ के लिए, भारत सरकार के परिपत्र को यह दावा करने के लिए भी इंगित किया गया था कि यह स्पष्ट रूप से देश भर में अधिग्रहण के बदले नौकरियों का संकेत देता है और महाप्रबंधक ऐसी नियुक्तियां करने के लिए सक्षम प्राधिकारी थे। रेलवे बोर्ड द्वारा नीति तैयार करने का बिलकुल कोई कारण नहीं था, इसे संशोधित किया गया और फिर इसे रद्द कर दिया गया, जिससे उत्तरदाताओं और समान रूप से रखे गए व्यक्तियों के दावे को निराशा हुई। विशिष्ट उत्तरदाताओं के खिलाफ कोई देरी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने वर्ष 2011 में आवेदन किए थे और इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिस रिट याचिका का निपटारा वर्ष 2022 में विचार का निर्देश देते हुए किया गया था। हालाँकि अनुलग्नक-17 में प्रस्तुत एक सकारण आदेश पारित किया गया था, लेकिन तर्क विषम है और नीति के अनुरूप नहीं है।

8. विभिन्न दस्तावेजों से, यह दावा किया गया कि नीति जीवित थी और न केवल इस योजना के तहत कुछ व्यक्तियों को नौकरी देने में, बल्कि रेलवे के अन्य क्षेत्रों में भी नीति को मूल रूप से लागू करने में व्यापक भेदभाव लिया गया था। विभिन्न क्षेत्रीय

रेलवे में किए गए अधिग्रहण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। विद्वान वकील दृढ़ता से ***अनिल कुमार बनाम भारत संघ; (2019) 5 एस. सी. सी. 591*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह पाया गया कि रेल मंत्रालय के लिए भारत संघ द्वारा एक बाध्यकारी नीति परिपत्र तैयार किया गया था। रिलायंस को **उमेश कुमार नागपाल** (ऊपर) पर आधारित समान तथ्य स्थिति पर इस न्यायालय के खंड पीठ के निर्णय के विरूद्ध विशेष अनुमति याचिका को रद्द करने के लिए भरोसा भी रखा गया।

9. हम पहले इस मुद्दे पर कानून और फिर सरकार की नीति को देखेंगे और हम इन दोनों पहलुओं को अलग-अलग मामलों के तथ्यों के आधार पर स्वीकार्य मानते हुए निष्कर्ष निकालेंगे। ***उमेश कुमार नागपाल*** (ऊपर) अनुकंपा नियुक्ति पर अक्सर उद्धृत जो सेवा में मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को दी गई नियुक्तियों के संदर्भ में हैं। निर्णय में योग्यता के आधार पर आवेदनों के खुले निमंत्रण के आधार पर सख्ती से सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्तियां करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जिसे एकमात्र प्रक्रिया घोषित किया गया था। यह भी देखा गया कि न्याय के हित में और कुछ आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए सामान्य नियम के कुछ अपवाद हैं। नौकरी में मरने वाले कर्मचारियों के परिवार के आश्रित, जो आजीविका के किसी साधन के बिना हैं, संकट या गरीबी में नहीं छूट जाते हैं को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी नियुक्तियों के पक्ष में एक ऐसा अपवाद हैं। ऐसी आकस्मिकता को स्वीकार करने का प्रावधान, जो लाक्षणिक रूप से 'कीप दी वुल्फ फ्रॉम दी डोर' का इरादा अपवादों में से एक हैं। हालाँकि, अनुकंपा के आधार पर ऐसी नियुक्तियाँ देते समय, इसे निम्नतम संवर्ग के तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के पदों तक ही सीमित रखना पड़ता था, क्योंकि यह परिवार को वही लाभ सुनिश्चित करने का उपाय नहीं है, जो आश्रित में भी उसी समान या तुल्य स्थिति में नियुक्त करने पर होता, जो कमाने वाले सदस्य के जीवित रहने पर होता। यह कभी भी दयालु नियुक्तियों का इरादा नहीं है, जो केवल यह सुनिश्चित

करता है कि परिवार अपने एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खोने के कारण पैसो का मुहताज़ न हो जाए। यह भी घोषित किया गया था कि काफी समय बीतने के बाद और संकट समाप्त होने के बाद ऐसी कोई नियुक्ति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि परिवार को तत्काल वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाने का उद्देश्य मौजूद नहीं है।

10. इस बात पर जोर दिया गया कि अनुकंपा रोजगार के प्रावधान नियमों द्वारा या सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यकारी निर्देशों द्वारा किए जाने चाहिए, जिनका नियमों का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति के सिद्धांत नौकरी के दौरान मृत्यु के कारण, भूमि अधिग्रहण के मामलों में भी समान रूप से लागू होते हैं। केवल तभी जब ऐसी नियुक्तियां देने की नीति हो और उस स्थिति में निर्धारित शर्तों का ईमानदारी से पालन किया जाए, एवं काफी समय बीतने के बाद, बिल्कुल भी नहीं।

11. ***बुटु प्रसाद कुंभार*** (ऊपर) ने यह दोहराते हुए कि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए मौद्रिक मुआवजे के बदले में भूमि अधिग्रहण अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है, यह भी घोषणा की कि ऐसी हर परिस्थिति में, सरकार विस्थापित किसी भी व्यक्ति को रोजगार प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है, या यहाँ तक कि विस्थापित परिवारों के प्रत्येक वयस्क सदस्य के लिए रोजगार में तरजीही व्यवहार भी सुनिश्चित करें। हालाँकि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की ओर से पेश हुए विद्वान सॉलिसिटर जनरल के निवेदन पर कि अनुकंपा के आधार पर व्यक्तियों को समायोजित किया गया था; सरकार द्वारा वर्ष 1986 में कोई और रोजगार नहीं देने का नीतिगत निर्णय लेने के बावजूद, दी गई नियुक्तियों के प्रतिशत को बढ़ाने का निर्देश दिया गया था।

12. ***शंकर प्रसाद दीप*** (ऊपर) में एक मामला था जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष इसी तरह की दलीलें दी गईं, जिसने सरकार द्वारा तैयार की गई नीति को प्रतिस्थापित करने के निर्देश जारी किए। न्यायाधिकरण के निर्देशों को दरकिनार करते हुए, इसे अस्वीकार्य पाते हुए, यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि भूमि बेदखल करने

वालों को नियमों और शर्तों का पालन करने के पर्याप्त अवसरों के बिना व्यक्तिगत आवेदनों की अस्वीकृति नहीं की जा सकती है। उक्त अवलोकन कई आवेदकों द्वारा भूमि अधिग्रहण का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने के संदर्भ में किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि विस्थापित व्यक्तियों को अवसर देते हुए दावों का पुनः सत्यापन किया जाना चाहिए और गाँव के सरपंच या तहसीलदार को भी ऐसे दावों के सत्यापन से जुड़ने का निर्देश दिया गया। यह भी निर्धारित किया गया था कि किसी भी स्थिति में विचारण केवल शैक्षिक योग्यता, लिखित परीक्षा में उपस्थित होने, न्यूनतम आयु आवश्यकताओं और चिकित्सा योग्यता सहित अन्य प्रिस्क्रिप्शनों (आदेशों) को पूरा करने पर ही किया जाएगा।

13. ***साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम प्रेम कुमार शर्मा; (2007) 14 एस. सी. सी. 508*** भी अधिग्रहण के बदले में रोजगार का एक दावा था। इसमें, दावे को अयोग्यता के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि अकेले भूमि का एक छोटा सा हिस्सा अधिग्रहित किया गया था, जो नीति निर्णय में निर्धारित न्यूनतम से कम था। आवेदकों ने तर्क दिया कि उनके साथ भेदभाव किया गया था, क्योंकि ऐसे मामले या उदाहरण थे जहां भूमि की कम सीमा के मालिकों को लाभ दिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि अनियमित या अवैध अनुदान के आधार पर भेदभाव का कोई दावा नहीं किया जा सकता है और उस संदर्भ में, अनुच्छेद 14 के तहत समानता के उल्लंघन की याचिका नहीं बचेगी।

14. ***अनिल कुमार*** (उपरोक्त) पर उत्तरदाताओं द्वारा विशेष रूप से इस न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने के लिए बहुत अधिक भरोसा किया गया था। इसमें रेलवे की इसी तरह की नीति दावे का आधार थी। अपीलार्थी के पिता की भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया और पूरे घर को ध्वस्त कर दिया गया, जिसकी पुष्टि समाहर्ता, भोजपुर, आरा ने की। 19.04.2006 की नीति/परिपत्र के आधार पर दावा किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पाया कि रेलवे बोर्ड ने 01.01.1983 को परियोजनाओं की स्थापना के लिए

भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप विस्थापित परिवारों के सदस्यों के लिए समूह-सी और समूह-डी पदों पर नियुक्ति पर विचार करते हुए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। दिशानिर्देशों में कहा गया था कि (i) दावेदार एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो विस्थापित हो गया था या जो ऐसे व्यक्ति का निकटतम परिवार है, (ii) भर्ती केवल पहली भर्ती में या अधिग्रहण के बाद दो साल की अवधि के भीतर हो सकती है, जो भी बाद में हो, (iii) विस्थापित व्यक्ति को वैकल्पिक कृषि योग्य भूमि के रूप में राज्य सरकार से कोई लाभ नहीं प्राप्त होना चाहिए, (iv) विस्थापित व्यक्ति को पद के लिए योग्यता पूरी करनी चाहिए और (v) उपयुक्त भर्ती समिति द्वारा उपयुक्त पाया जाना चाहिए।

15. 19.04.2006 रेलवे बोर्ड द्वारा एक और परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार की कोई पेशकश नहीं की जाएगी जब अधिग्रहण केवल भूमि की एक पट्टी का होगा। तब भी इसे केवल समूह-डी पद पर विचार करने का निर्देश दिया गया था, जहां इस प्रक्रिया में बड़ा क्षेत्र, घर या पर्याप्त आजीविका छीन ली गई हो या हटा दी गई हो छीन ली गई हो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पाया कि एक बड़े क्षेत्र के अधिग्रहण, घर और पर्याप्त आजीविका से वंचित होने की स्थितियों में जब वैकल्पिक रोजगार के उद्देश्य से विचार किया जाता होः वाक्यांशों को अलग-अलग रूप से समझा जाना चाहिए। चूंकि उस मामले में दावेदार का पूरा घर ध्वस्त कर दिया गया था, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विचार करने का निर्देश दिया। एक नीति तैयार करने के बाद, इसे लागू करने में विफलता के परिणामस्वरूप सामाजिक न्याय की विफलता होगी, विशेष रूप से क्योंकि नीति परिपत्र सामाजिक कल्याण को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास थे, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निष्कर्ष था।

16. 2019 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 21778 और 2019 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 21559 में रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा रेलवे बोर्ड के दिनांकित 19.04.2006 के उसी परिपत्र पर भरोसा किया गया है। जहाँ तक 2021 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 5751

का संबंध है, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने हमें सरकार और रेलवे की नीति के आधार पर दावे को और पुष्ट करने के लिए विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से ले गए। उस रिट याचिका में प्रस्तुत अनुलग्नक-5 भारत सरकार का दिनांक 16.07.2010 का एक परिपत्र है जिसमें रेलवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित भूमि खोने वालों की नियुक्ति के लिए एक व्यापक नीति निर्धारित की गई है। जैसा कि हम उपरोक्त परिपत्र से देखते हैं कि कोई बाध्यता नहीं है, जो रेलवे अधिकारियों को एक नीति तैयार करने में सक्षम बनाता है। रेलवे के महाप्रबंधक, जिनके अधिकार क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण किया जाना है, को भी उम्मीदवारों का निष्पक्ष और पारदर्शी चयन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया था। महाप्रबंधक निश्चित रूप से नीति निर्धारित नहीं कर सकते हैं और यह केवल नीति लाए जाने की स्थिति में ऐसे अधिकारी को निष्पक्ष और पारदर्शी चयन करने की शक्ति प्रदान करता है।

17. अनुलग्नक-6 पूर्वी मध्य रेलवे द्वारा 22 फरवरी, 2011 को लाई गई नीति है, जिसका अनुपालन महाप्रबंधक, हाजीपुर द्वारा दिनांक 06.06.2011 अनुलग्नक-7 के साथ किया था। अनुलग्नक-8 दिनांक 25.11.2013 ने 2006 की रेलवे बोर्ड की नीति को दोहराया जिसके अनुसार भूमि की एक पट्टी अधिग्रहण के लिए मुआवजा नहीं दिया जा सकता था, जिसके लिए आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा की जा रही थी। विद्वान वकील ने उसी का उल्लेख करने के बाद, विशेष रूप से याचिकाकर्ताओं के मामले में अस्वीकृति के आदेश की ओर इंगित किया जैसा कि अनुलग्नक-17 में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह देखा गया है कि रेल मंत्रालय ने दिनांकित 22.01.2015 के पत्र के माध्यम से निर्देश या दिशानिर्देश जारी किए हैं कि "रेलवे में भूमि खोने वालों को देने की नीति की समीक्षा की जा रही है। " उक्त उद्धरण दिनांक 27.01.2015 के माध्यम से बनाया गया है, जिसे अनुलग्नक-14 के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह देखने के बाद कि नीति की समीक्षा की जा रही है, यह भी विशेष रूप से कहा गया था कि अंतिम समीक्षा होने तक, मौजूदा निर्देश का पालन किया

जाना चाहिए। विद्वान वकील अनुलग्नक-20 का भी उल्लेख करेंगे जिसमें रेलवे के एक अन्य प्रभाग ने भूमि खोने वालों को रोजगार प्रदान किया था। हम इस आधार पर आगे बढ़ेंगे कि यह नीति उन तीनों अधिग्रहणों पर लागू होती है, जिनके कारण रोजगार के लिए दावे उत्पन्न हुए, जो इन मामलो में उठाए गए है। ***अनिल कुमार*** (ऊपर) में तीन अलग-अलग आकस्मिकताओं में रोजगार प्रदान करने की नीति को भी संक्षेप में चित्रित किया गया है; (i) बड़े भूखंड का अधिग्रहण; (ii) अधिग्रहण के परिणामस्वरूप वासभूमि (क्षेत्र) का पूरी तरह से नुकसान और (iii) अधिग्रहण से पर्याप्त आजीविका से वंचित होना।

18. उपरोक्त कानूनी स्थिति के परिप्रेक्ष्य में और नीतिगत दिशानिर्देश स्पष्ट होने की स्थिति में, दावे पर कोई भी विचार व्यक्तिगत तथ्यों पर आधारित होगा; जिसे दुर्भाग्य से, विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रयास नहीं किया है। निर्णय पर गौर करने से पहले, हमें यह देखना होगा कि हम विद्वान एकल न्यायाधीश से सहमत हैं कि 2019 में प्रभावि समीक्षा कि नौकरी के बदले 5 लाख रुपये का भुगतान उन उत्तरदाताओं में से किसी पर भी लागू नहीं होंगे जिनके अधिग्रहण उससे बहुत पहले हुए थे। न ही वे रुपये के लिए दावा कर सकते हैं। 5 लाख का मुआवजा का दावा कर सकते है और न ही उन्हें अनुकंपा के आधार पर रोजगार से वंचित किया जा सकता है, अगर वे अधिग्रहण के समकालीन अस्तित्व में नीति के हकदार थे।

19. विद्वान एकल न्यायाधीश, जैसा कि हमने देखा, केवल अनिल कुमार (उपरोक्त) पर भरोसा किया और इस न्यायालय की एकल पीठ के फैसले, जिसमें समान याचिकाकर्ता निर्देश जारी करने हेतु इस न्यायालय के समक्ष थे। तीन समान रिट याचिकाओं में विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देश केवल इस हद तक थे कि राज्य एक समान नीति का पालन करने के लिए बाध्य था, किसी भी तरह के पसंद होने के नहीं के शामिल होते और चयन से बचना ताकि नीति को कुछ के अनुरूप ढाला जा सके और दूसरों को बाहर किया जा

सके। जहां तक ***अनिल कुमार*** (उपरोक्त) का संबंध है, हमने स्पष्ट रूप से तथ्यों का संकेत दिया है, विशेष रूप से पूरे घर के विध्वंस की, जिसके कारण उसमें निर्देश दिए गए थे।

20. रेलवे की नीति, जैसा कि ***अनिल कुमार*** (उपरोक्त) में कहा गया है, रोजगार के प्रावधान को सक्षम नहीं करती है, अगर अधिग्रहण केवल भूमि की एक पट्टी का था। फिर भी, अगर इससे घर या आजीविका से वंचित हो जाता है, तो इसे दिया जा सकता है। नीति यह भी थी कि जिन व्यक्तियों के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण किए गए थे, उन्हें भी रोजगार के लिए विचार किया जाना चाहिए।

21. हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि इनमें से किसी भी उत्तरदाता के पास आजीविका के नुकसान या घर के नुकसान का मामला नहीं है। विभिन्न रिट याचिकाओं से भूमि का विस्तार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 2019 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 21778 में, ज्ञापन की तालिका प्रत्येक से अधिग्रहित भूमि को इंगित करती है, जैसा कि पृष्ठ 12 से 15 में दिया गया है। अधिग्रहित भूमि के क्षेत्र से यह देखा जाता है कि क्षेत्र 0.20 और 0.47 दशमलव यानी भूमि की बहुत छोटी पट्टियों के बीच सीमित है सारणीवद् फॉर्म पृष्ठ 5 और 6 पर उपलब्ध है और फिर से क्षेत्र 0.20 से 0.33 दशमलव के बीच है। 2021 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 5751 में, अधिग्रहित भूमि का क्षेत्र अनुलग्नक-1 श्रृंखला के रूप में दायर आवेदनों में उपलब्ध है, जो 0.10 से 6.286 दशमलव तक है, जिसे भी बडा विस्तार नहीं कहा जा सकता है। सबसे बड़ी सीमा 6.286 दशमलव है, एक व्यक्तिगत मामले में, जिसे कल्पना के किसी भी विस्तार से, बड़ी हद तक अधिग्रहण नहीं माना जा सकता है। अन्य सभी अधिग्रहण, निश्चित रूप से एक दशमलव से कम हैं।

22. उत्तरदाताओं में से कोई भी रेलवे की नीति के अंतर्गत नहीं आता है, जिससे उन्हें रोजगार मिल सकता है। प्रत्येक उत्तरदाता से भूमि की केवल छोटी पट्टियों का अधिग्रहण किया गया था, जैसा कि रिट याचिकाओं से पता चलता है। अधिग्रहण के कारण न तो घर का पूर्ण नुकसान हुआ है और न ही आजीविका का पर्याप्त नुकसान हुआ है और

न ही किसी भी उत्तरदाता द्वारा इसका दावा किया गया है। अन्य प्रभागों में रोजगार दिए जाने के संबंध में प्रस्तुत करने के संबंध में, यह एक तथ्य है कि उस प्रभाग में भी रोजगार दिया गया था, जिसने इसमें उत्तरदाताओं की भूमि का अधिग्रहण किया था। जहाँ तक अन्य व्यक्तियों के रोजगार दिए जाने के दावे का संबंध है, एक भी मामला निर्दिष्ट नहीं किया गया है जिसमें प्रत्यर्थियों के समान भूमि के एक पटटा के अधिग्रहण के बदले रोजगार प्राप्त किया गया था। हमें यह भी देखना होगा कि अवैध या अनियमित अनुदान समानता या भेदभाव के उल्लंघन की वैध दलील नहीं हो सकती है जैसा कि ***साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड*** (उपरोक्त) में हम विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को बनाए रखने का विल्कुल कोई कारण नहीं पाते हैं।

23. हम अपीलों को अनुमति देते हुए इसे रद्द करते है तथा पक्षकारों को अपने-अपने खर्च वहन करने के लिए छोड़ देते है।

24. अन्तरवर्ती आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायमूर्ति)

मैं सहमत हूँ।

हरीश कुमार, न्यायमूर्ति

(हरीश कुमार, न्यायमूर्ति)

अनुष्का/सुजीत

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।